न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष सं0–1, बुलन्दशहर

उपस्थितः शिवा नन्द (एच.जे.एस.)
जे.ओ. कोड नं0–यू0पी0–1622
फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–133 सन् 2026
मुकेश बनाम अफलातून।

दिनॉक 09–09–2026

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

पत्रावली प्रार्थनापत्र **कागज संख्या 11सी2** अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के निस्तारण हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र के शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। प्रत्यर्थी सं0–1 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं0–1 की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 11सी2 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम

आवेदक/अपीलार्थी आशीष आदि की ओर से **प्रार्थनापत्र कागज सं0–11सी2** अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम, मय शपथपत्र 12सी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त अपील को अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से दायर किया जा रहा है। लेकिन विलम्ब के लिए अपीलकर्ता दोषी नहीं है। अपीलकर्ता बिना पढ़ा लिखा ग्रामीण व्यक्ति है कानूनी प्रक्रियाओं को नहीं जानता है। अपीलकर्ता को उपरोक्त वाद की पत्रावली ना मिलने के कारण आदेश की सत्यापित प्रति समय से नहीं मिल सकी थी। कल दिनॉक 24–02–2026 को डिक्री की सत्यापित प्रति प्राप्त होने पर बिना किसी विलम्ब के अपील योजित की जा रही है। यदि फिर भी न्यायालय की राय में संलग्न अपील को दायर किये जाने में कोई विलम्ब माना जाता है तो वह ज्ञान के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील को अंदर म्याद मानते हुए, देरी को क्षमा करके, लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 का लाभ देकर गुण–दोष के आधार पर सुनवाई के लिए स्वीकार करने की कृपा करें।

प्रत्यर्थी सं0–1 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/अपीलार्थी को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण जानकारी थी। उसके द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी की गयी है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किये जाने की मॉग की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक/अपीलार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य कथन किया गया है कि उसे प्रश्नगत आदेश की जानकारी समय से नहीं हो सकी। जानकारी न होने के कारण विलम्ब हुआ है। उसने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, न कि तकनीकी आधार पर।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सैनिक सिक्युरिटी बनाम शील बाई, 2008(71) ALR 302 (SC)** नामक वाद में यह विधिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को डीले कन्डोन करने के प्रार्थना पत्रों को निस्तारित किये जाते समय लचीला रूख अपनाना चाहिए, अतः ऊपरोल्लिखित विधिक व्यवस्थाओं में अन्तर्वलित विधि के आलोक में न्याय के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

Digitally signed by SHIVA NAND
Date: 2026.09.10 11:47:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जहॉ तक अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का प्रश्न है तो उसकी भरपाई हर्जा से की जा सकती है, तदनुसार आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11सी2 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11सी2 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम अंकन 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार बाद अदायगी हर्जा विलम्ब क्षमा किया जाता है।

बाद अदायगी हर्जा पत्रावली, मूल आदेश के साथ माननीय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर के समक्ष अंगीकरण के बिन्दु सुनवाई हेतु 21–09–2026 को पेश हो।

पक्षकार उक्त तिथि को माननीय न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर में उपस्थित रहें।

कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(शिवा नन्द)
अपर जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,
न्याय कक्ष संख्या 01, बुलन्दशहर
JO CODE NO-UP1622

दिनॉक 09.09.2026

सैयद वसी उर रहमान–स्टेनो